समाहरणालय बेगूसराय

(उत्पाद विभाग)

पत्रांक 26 / उ० दिनांक 21.2.15

प्रेषक,

सीमा त्रिपाठी
(भा०प्र०से०)
समाहर्त्ता, बेगूसराय।

सेवा में,

आयुक्त उत्पाद,
बिहार पटना।,

बेगूसराय, दिनांक 21.2.15 /

विषय :— **बेगूसराय जिला के खुदरा शराब दुकानों की वर्ष 2015—16 में बन्दोवस्ती हेतु समूहवार सूची के अनुमोदन के संबंध में।**

महशय,

उपरोक्त विषयक निदेशानुसार जिले के खुदरा शराब दुकानों की वित्तीय वर्ष 2015—16 में बन्दोवस्ती हेतु तैयार समूहों की सूची M.G.Q. के साथ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है उक्त सूची पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त करनें की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

21/2/15

समाहर्त्ता,
बेगूसराय।

फारम–127

" कृपया देखें पाराग्राफ – 88"

बिक्री अधिसूचना

वित्तीय वर्ष 2015–16 (1ली अप्रील 2015 से 31 मार्च, 2016 तक) (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब दुकानों की खुदरा बिक्री के लिए)

1. इसके साथ संलग्न सूची में अंकित स्थानों या अवस्थिति के क्षेत्रों के लिए देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की खुदरा दुकानों की बन्दोवस्ती दिनांक 09.03.2015 को तथा आवश्यकतानुसार उसके अगले दिन 10:00 बजे दिन से (स्थान) [illegible] में लॉटरी प्रणाली द्वारा निर्धारित फीस पर बंदोवस्त की जायेगी।

2. लॉटरी द्वारा दुकानों की बंदोवस्ती निम्नांकित शर्त्तों के अधीन होगी और इन सभी शर्त्तों से अपने को प्रतिबद्ध रखते हुए ही कोई व्यक्ति बंदोबस्ती में भाग ले सकता है।

3. लॉटरी द्वारा बंदोवस्त होने वाली देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की दुकानों की अवस्थिति के मामले में दुकान के स्थान या स्थान के नाम के बदले एक या अनेक दुकानों की अवस्थिति का क्षेत्र घोषित कर बंदोवस्ती की जायेगी।

4. (क) सभी प्रकार के शराब के खुदरा दुकानों को लौटरी प्रणाली द्वारा मूल रूप से दुकानवार बंदोवस्त किया जाएगा लेकिन राजस्व हित में अधिकाधिक दुकानों की बंदोवस्ती के प्रयोजनार्थ उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती एकल दुकान या अधिकतम 03 (तीन) खुदरा उत्पाद दुकानों का समूह बनाकर वर्त्तमान नीति के प्रावधानों के तहत लौटरी द्वारा बंदोवस्त किया जाएगा। छोटा समूह अधिकतम तीन दुकानों का इस प्रकार बनाया जाएगा जिसमें लाभकर दुकानों के साथ अपेक्षाकृत कम लाभ वाले दुकानें भी रहेंगी।

दुकानों के प्रत्येक समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के लिए तीन व्यक्तियों का नाम लौटरी द्वारा निकाला जाएगा। लौटरी द्वारा निकाले गए प्रथम नाम के साथ ही दुकान की बंदोवस्ती की जाएगी। यदि किसी कारण से प्रथम व्यक्ति के साथ बंदोवस्त नहीं हो सके या बंदोवस्ती के बाद भी यदि अनुज्ञप्ति विखंडित हो जाती है तो उक्त समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के दुकान के लिए चयनित दूसरे लौटरी विजेता तथा उसके मुकर जाने के उपरांत तीसरे लौटरी विजेता के साथ बंदोवस्ती की जाएगी।

यदि लौटरी विजेता दुकान/दुकानों के समूह की बंदोवस्ती लेने से मुकर जाता है तो वह राज्य के किसी भी दुकान की बंदोवस्ती लेने से निरर्हित हो जाएगा।

(ख) किसी ज़िला में चयनित आवेदक के साथ तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोवस्ती नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोवस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ग) किसी दुकान या दुकानों के समूह के लिए तीन से कम अभ्यर्थी होने की स्थिति में उपलब्ध अभ्यर्थियों के बीच ही लॉटरी द्वारा बंदोवस्ती की कारवाई की जायेगी।

5. इस बिक्री अधिसूचना में वर्णित शर्तें अनुज्ञप्ति की भी शर्तें मानी जायेंगी। बिक्री अधिसूचना के प्रपत्र की प्रतिलिपि समाहर्त्ता के कार्यालय/विभाग के वेबसाईट www.excise-bihar.gov.in पर देखी जा सकती है।

6.(क) लॉटरी द्वारा बंदोबस्त खुदरा दुकानों की अनुज्ञप्ति 1ली अप्रील, 2015 से प्रभावी होगी जो 31 मार्च, 2016 तक के लिए प्रदान की जायेगी। किसी अनुज्ञप्ति की बंदोबस्ती अगर वर्ष 2015–16 के बीच में किसी अन्य तिथि के प्रभाव से की जाती है तब भी बंदोबस्ती की तिथि से 31 मार्च, 2016 तक के लिए ही अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।

(ख) अनुवर्ती वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति नवीकरण सरकार द्वारा निर्धारित बंधेज एवं शर्तों पर की जा सकती है, परंतु दो उत्पाद वर्ष जो दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त होगी, उससे अधिक अवधि के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी।

7. (क) लॉटरी द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी (आवेदक) को अपने आवेदन के साथ वैयक्तिक पहचान–प्रमाण (आइडेंटिटी प्रुफ) के रूप में स्थायी निवास के प्रमाण के लिए फोटो युक्त पहचान–पत्र जैसे मतदाता परिचय–पत्र, पासपोर्ट, आयकर स्थायी खाता संख्या, एवं ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि समर्पित करने की अनिवार्यता होगी तथा यदि किसी कारणवश फोटो युक्त पहचान पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर नहीं समर्पित की जाती है तो किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो तथा राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी राशन कार्ड, निवास प्रमाण–पत्र, जल/टेलीफोन/बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेटमेंट इनमें से किसी एक प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करने की अनिवार्यता होगी।

लॉटरी प्रणाली द्वारा बंदोबस्त की जानेवाली खुदरा देशी शराब/मसालेदार देशी शराब दुकानें, भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें तथा कंपोजिट शराब की दुकानों की बंदोबस्ती लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति एक या एक से अधिक दुकान या एक से अधिक समूह की दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकता है, बशर्ते सभी दुकानों एवं समूह के दुकानों जिसके लिए आवेदन देगा उसपर विभाग द्वारा निर्धारित अलग–अलग आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फी) जमा करना होगा जो उन्हें वापस लौटाई नहीं जाएगी। परन्तु, अधिकतम तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोबस्ती एक जिले में एक व्यक्ति के साथ नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोबस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ख). लॉटरी द्वारा बंदोबस्त की जानेवाली उत्पाद खुदरा दुकानों के लिए प्रत्येक इच्छुक आवेदकों से दुकानों को दो श्रेणी में विभक्त कर यथा हाई पोटेंसियल जोन एवं लो पोटेंसियल जोन के आधार पर समर्पित की जानेवाली आवेदन के साथ दुकानवार निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि, जो वापसी योग्य नहीं है, को एकीकृत कर "हाई पोटेंसियल जोन" के लिए निर्धारित श्रेणीवार दुकानों के लिए निर्धारित किए गए आवेदन शुल्क की राशि ही निम्नवत निर्धारित दर से आवेदन शुल्क की राशि के रूप में देय होगा।

क्षेत्र का नाम	हाई पोटेंशियल तथा लो पोटेंशियल जोन के लिए
पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित	रू0 7000.00 (सात हजार)
अन्य नगर निगम क्षेत्र के लिए	रू0 5000.00 (पाँच हजार)
नगर परिषद् के लिए	रू0 4000.00 (चार हजार)
नगर पंचायत क्षेत्र के लिए	रू0 3000.00 (तीन हजार)
प्रखंड मुख्यालय (जो उपर्युक्त क्षेत्रों से भिन्न हो)	रू0 3000.00 (तीन हजार)
अन्य ग्रामीण क्षेत्र	रू0 2000.00 (दो हजार)

छोटे समूह में उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती लेनेवाले इच्छुक आवेदकों से आवेदन शुल्क की राशि समूह के प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग निर्धारित दर पर ही जमा कराई जाएगी, न कि समूह के दुकानों को एक दुकान मानकर उन्हें समूह के दुकान के लिए एक दुकान का आवेदन शुल्क जमा करने की छूट दी जाएगी।

अभ्यर्थी राज्य के किसी भी जिला में अवस्थित किसी भी दुकान के लिए आवेदन दे सकते हैं। यदि वे चाहें तो जिस जिला में वे रहते हैं, वहाँ के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के कार्यालय से बाहर के जिला में अवस्थित दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकते हैं, परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन फीस बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से समर्पित करना होगा जो उस जिला में भुगतेय होगा जिस जिला की दुकान के लिए वह आवेदन देगा।

8. बंदोबस्ती में किसी भी आवेदक के विरूद्ध निम्नांकित कोई अयोग्यता पाये जाने पर उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा –

(क). अगर वह 21 वर्ष से कम आयु का हो,

(ख). वह सरकारी बकायेदार हो।

(ग). आवेदक का नाम उत्पाद बकायेदार की सूची या काली सूची में हो।

(घ) अगर वह दिवालिया (इंनसोलवेंट) हो।

आवेदक को उपरोक्त अयोग्यता नहीं रहने के समर्थन में निम्नांकित आशय का शपथ पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(i) उसपर कोई सरकारी देयता अथवा बकाया नहीं है ;

(ii) उसका नाम उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की बकाया अथवा काली सूची में नहीं है,

(iii) उसे बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रावधानों के अधीन उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से न तो वर्जित किया गया है और न किसी भी अन्य राज्य से तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित किया गया है तथा उसका नाम अन्य राज्यों की बकाया एवं काली सूची में नहीं है ;

(iv) उसका नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उसके बिहार उत्पाद अधिनियम 1915, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 या किसी संज्ञेय एवं गैर जमानतीय अपराध में दंडित किये जाने की स्थिति में वह एक वर्ष से अधिक की कारावास–अवधि का सजायफ्ता नहीं हैं ; और

(v) यह अन्डरटेकिंग कि उसके अनुज्ञाधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में, राज्य के जिन–जिन जिलों में पूर्व में वह लाइसेन्सी रहा है, उन जिलों से बकायादार/काली सूची में सम्मिलित नहीं होने से संबंधित प्रमाण–पत्र लाइसेन्स जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर यदि उसके द्वारा लाइसेंसिग पदाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लाइसेंसिग पदाधिकारी उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त/विखंडित कर सकेगा।

9. बंदोबस्ती में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपनी पात्रता के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ सभी परिपूर्ण अभिलेख बंदोबस्ती के दिन को छोड़कर पाँच दिन पूर्व जिला उत्पाद कार्यालय में जमा करेगा तथा उसकी प्राप्ति रसीद लेगा। आवेदन के साथ निम्नांकित कागजात (आवेदन शुल्क की राशि सहित) समर्पित करने की अनिवार्यता होगी :

(क) एकल दुकान या समूह की दुकानों, जिसके लिए वे आवेदन देना चाहते है, उसके लिए अलग–अलग दर पर निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि नगद, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा;

(ख) शपथ पत्र (बिक्री अधिसूचना के प्रावधानानुसार);

(ग) वैयक्तिक पहचान प्रमाण (आइडेंटिटी प्रूफ) से संबंधित वांछित कागजात।

10. कर्त्तव्यस्थ पदाधिकारियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति बंदोबस्ती वाले हॉल में हॉल टिकट प्रस्तुत किये बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद, जैसी भी स्थिति हो, वास्तविक आवेदक या उसकी अनुपस्थिति में उसके एक प्राधिकृत प्रतिनिधि को एक निःशुल्क हॉल टिकट निर्गत करेंगे।

11. दुकानों की बंदोबस्ती के लिए लॉटरी निकालने के दो दिन पूर्व उस दुकान के योग्य व्यक्तियों के नामों की सूची प्रकाशित कर दी जायेगी।

12. किसी भी आवेदक की वैयक्तिक पहचान पत्र, पात्रता एवं उनके द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के संबंध में दूसरे आवेदक द्वारा लिखित चुनौती/लॉटरी के पूर्व दी जा सकती है। आवेदक की पात्रता, शपथ–पत्र के संबंध में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

13 (क) यदि कोई दुकान/दुकानों के समूह किसी कारण से बंदोवस्त नहीं हो सके, तो समाहर्त्ता पुनः बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करेंगे। परंतु इसके लिए पन्द्रह दिन पूर्व बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

(ख) बंदोवस्ती सर्वप्रथम 'वैसी दुकान/दुकानों के समूहों से प्रारंभ की जायेगी जिसका न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा कम होगी।

14 (क) बंदोवस्ती के तुरंत बाद बंदोवस्तदार को वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का बारहवां भाग अग्रिम अनुज्ञाशुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा करना होगा।

बंदोवस्तदार को वार्षिक अनुज्ञप्तिफीस के बारहवें भाग के बराबर प्रतिभूति राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारंटी या जिले के समाहर्त्ता अथवा सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के पदनाम से बंधीकृत फिक्सड डिपोजिट (Scheduled Nationalised Bank का) या थातीकृत राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र के रूप में बंदोवस्ती के तुरंत बाद जमा करना होगा। बैंक गारंटी की मान्यता अवधि जून, 2016 रहेगी।

(ख) बंदोवस्तदार/अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक माह की 1ली तारीख को वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का 12वां भाग जिला के कोषागार में जमा करेगा। किसी कारणवश पहली तारीख तक अनुज्ञप्तिफीस जमा नहीं कर सकने की स्थिति में अनुज्ञाधारी संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से कारण सहित समय के लिए अनुरोध कर सकता है परंतु हर हाल में माह की 20वीं तारीख तक अनुज्ञप्ति फीस अवश्य जमा कर देगा। यदि 20वीं तारीख सार्वजनिक अवकाश का दिन हो तो अगले कार्य दिवस को जमा करेगा, अन्यथा अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी तथा जमा संपूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जायेगी तथा उक्त दुकान/दुकानों के समूह लॉटरी के क्रम संख्या दो के अभ्यर्थी के साथ अथवा अभ्यर्थी संख्या–2 को दुकान लेने से इंकार करने पर अभ्यर्थी संख्या तीन के साथ बंदोवस्त कर दी जायेगी।

(ग). खुदरा उत्पाद दुकानों की समूह में बंदोवस्ती लेने वाले अनुज्ञाधारियों की, समूह के किसी दुकान की अनुज्ञप्ति की शर्त्तों के उल्लंघन के लिए उस दुकान की अनुज्ञप्ति के साथ–साथ समूह के अन्य दुकानों की अनुज्ञप्तियाँ भी बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय सिद्धांत का पालन करते हुए विखंडित कर समूह के सभी दुकानों की जमानत राशि एवं अग्रिम अनुज्ञाशुल्क जब्त कर ली जा सकेगी।

15. (क) जहां बंदोबस्ती पूरे वर्ष के लिए होगी वहां अनुज्ञप्ति फीस कुल वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का बारहवॉ भाग उपर्युक्त कंडिका (ख) के अनुसार जमा करेगा। परन्तु जहां बंदोवस्ती साल के बीच में होगी वहां समानुपातिक मासिक अनुज्ञाशुल्क देय होगी।

(ख) किसी मदिरा की दुकानें सम्पूर्ण उत्पाद वर्ष के लिए बंदोवस्त की जायेगी। अगर बंदोबस्ती साल के बीच में होगी तो वैसी स्थिति में वह उत्पाद वर्ष की 31वीं मार्च तक प्रभावी रहेगी।

(ग) प्रतिभूति राशि तथा एक माह की अग्रिम अनुज्ञप्ति फीस के साथ–साथ जिस माह से अनुज्ञप्ति दी गयी है, उस माह की अनुज्ञप्ति फीस भी जमा करने के बाद बंदोबस्तदार के पक्ष में अनुज्ञप्ति तुरंत निर्गत कर दी जायेगी। अग्रिम अनुज्ञाशुल्क, वर्ष की समाप्ति वाले माह में समायोजित होगी, इसके लिए अनुज्ञाधारी को आवेदन देना होगा परन्तु प्रतिभूति राशि अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के बाद, उसके बकाया राशि, अगर कुछ हो, की कटौती कर वापस की जायेगी।

(घ.) स्थल का अनुमोदन होते ही स्थल का ब्योरा अनुज्ञप्ति में अंकित कर दिया जायेगा।

16 (क). कंडिका 15(ग) के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त होते ही आपत्ति रहित स्थल उपलब्ध कराने की पूरी जबावदेही अनुज्ञाधारी की होगी। अनुज्ञाधारी बंदोबस्ती के बाद दस दिनों के अंदर, आपत्ति रहित प्रस्तावित दुकान परिसर के पूर्ण विवरण के साथ उसके अनुमोदन हेतु जिला के समाहर्त्ता को आवेदन देंगे। समाहर्त्ता द्वारा अनुमोदित स्थल पर ही दुकान खोली जायेगी। स्थल की स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय आवेदन प्राप्ति के दस दिनों के अन्दर समाहर्त्ता द्वारा कर दिया जायेगा, अन्यथा अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद तथा समाहर्त्ता संयुक्त रूप से राजस्व क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे।

बंदोवस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञप्ति स्थल के अनुमोदन हेतु समर्पित किये जाने वाले अपने आवेदन पत्र के साथ अनुज्ञप्ति स्थल के प्रवेश–द्वार एवं अंदर के भाग तथा उसके चौहदी में स्थित भूमि–भवन/खाली स्थानों का **Still Photograph,** जिसमें मात्र उनकी भी उपस्थिति रहेगी, तीन प्रतियों में अधीक्षक उत्पाद/ सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करेंगे।

(ख). बंदोवस्ती के सफल लौटरी विजेता अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से दो माह के अंदर अपने स्थायी लेखा संख्या (**PAN**) के कार्ड की छायाप्रति अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र के कंपोजिट शराब की दुकानें शहरी क्षेत्र (नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत) की सीमा से कम से कम दो किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएगी तथा प्रखंड मुख्यालय अवस्थित पंचायत की सीमा से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएगी।

17. स्थल चयन के कारण दुकान खोलने में बिलम्ब के लिए अनुज्ञप्तिधारी स्वयं जिम्मेवार होगा, तथा इसके लिए किसी प्रकार की छूट/क्षतिपूर्ति का वह हकदार नहीं होगा।

18. सरकार शराब पर देय उत्पाद कर में एवं राजस्व पर्षद लागत मूल्य में किसी भी समय परिवर्त्तन कर सकती है।

19.(क) बिक्री अधिसूचना में अंकित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का बारहवां भाग प्रत्येक माह में अनुज्ञाधारी को उठाना होगा। निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उपर किन्तु 15 प्रतिशत तक अधिक उठाव करने पर अनुज्ञप्ति फीस पर पूर्ण छूट होगी परन्तु निर्धारित कोटा के 15 प्रतिशत से भी उपर उठाव करने पर देय प्रति एल0पी0एल0 अनुज्ञप्ति फीस की राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस के रूप में अग्रिम रूप से देय होगा। किसी माह का बचा हुआ कोटा अगले माह में उठाने पर इसे अतिरिक्त उठाव नहीं माना जायेगा परन्तु माह मार्च का बचा हुआ कोटा माह अप्रील में उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ख) विदेशी शराब की खुदरा अनुज्ञप्ति के मामले में यदि कोई बंदोबस्तदार अपनी अनुज्ञप्त परिसर को "ऑन" बिक्री में परिवर्तित करना चाहेगा तो वह उस दुकान के वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का दस प्रतिशत अधिक राशि देने की सहमति के साथ संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद को आवेदन देगा। उसके आवेदन पर विचार करते हुए उसे अपनी दुकान में "ऑन" बिकी की अनुमति दी जायेगी लेकिन ऐसी स्थिति में उत्पाद नियम 47 के अंतर्गत स्थल आपत्ति रहित होने पर ही यह सुविधा दी जा सकती है।

(ग) "ऑन" बिक्री के लिए उसी परिसर से सटा हुआ एक अलग कमरा/जगह जो "ऑफ" काउन्टर से अलग हो, रखना होगा तथा उसका पूर्ण विवरण तथा नक्शा का ब्लू प्रिंट तीन प्रतियों में समाहर्त्ता के अनुमोदनार्थ देना होगा, जो समाहर्त्ता से अनुमोदित होना अनिवार्य होगा।

(घ) समानुपातिक मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस तक अनुज्ञाधारी को उठा लेना होगा।

(ड.) प्रत्येक प्रकार की मदिरा के बोतल/सैसे पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित रहेगा तथा उससे अधिक मूल्य पर उपभोक्ता को नहीं बेचेगा।

20. अनुज्ञाधारी उठायी गयी सम्पूर्ण शराब की मात्रा अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के पूर्व तक बेचना सुनिश्चित करेगा।

21. मदिरा की अनापूर्ति की दशा, दुकान खुलने में विलम्ब, चुनाव के कारण दुकान की बंदी आदि की दशा में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी और नहीं अनुज्ञाशुल्क में छूट का कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।

22(क) अनुज्ञाधारी अपनी अनुज्ञप्ति परिसर के बाहर मुख्य दरबाजा पर लगी बोर्ड पर निम्नांकित सूचनाएं स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेगा –

(i). दुकान का नाम एवं अनुज्ञप्ति अवधि,
(ii). अनुज्ञाधारी का नाम
(iii). दुकान के अधिकृत बिक्रेता का नाम
(iv). सभी श्रेणी के शराब का अधिकतम खुदरा मूल्य

(ख). बंदोवस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर के प्रवेश द्वार पर विभागीय पत्रांक 4085 दिनांक 31.12.10 में निर्धारित मानक के अनुसार 3'x2.5' साईज का साईन बोर्ड लगायेंगे तथा उस पर निर्धारित भाषा एवं रंग में ही आवश्यक सूचना लिखवायेंगे।

(ग). बंदोवस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर अथवा उसके आस–पास किसी उत्तेजक चित्र एवं भाषा वाले पेंटिंग्स/बोर्ड का उपयोग न तो स्वयं करेंगे और नहीं किसी अन्य को इसकी अनुमति देंगे।

(घ). बंदोवस्तधारी, निगम के डीपो से पासबुक में प्रविष्टि कराकर ही मदिरा का निर्गमण लेंगे।

23.(क) बंदोबस्तदार बिहार उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बने उन सभी नियमों का पालन करेगा जो राज्य सरकार/राजस्व पर्षद द्वारा बनाये गये हैं, या समय–समय पर बनाये जायेंगे। साथ ही, अनुज्ञप्तिधारी सक्षम पदाधिकारी से समय–समय पर जारी किये गये या किये जाने वाले सभी संबंधित आदेशों, निर्देशो एवं अनुदेशों का अनुपालन करेगा।

(ख) अनुज्ञप्ति परिसर में निरीक्षण के समय अनुज्ञाधारी निरीक्षी पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करेगा। स्टॉक पंजी प्रत्येक दिन का अद्यतन लिखना आवश्यक होगा। अनुज्ञप्ति परिसर में अनुज्ञप्ति भी रखना होगा तथा मांगने पर सभी अभिलेख प्रदर्शित करना होगा।

24. राज्य सरकार अपनी बंदोबस्ती नीति में किसी भी समय परिवर्तन करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है।

25. इस बिक्री अधिसूचना की शर्त्त अनुज्ञप्ति की शर्त्त भी मानी जायेगी तथा इसके उल्लंधन के लिए उत्पाद अधिनियम की धारा 42 एवं अन्य संगत प्रावधान के अर्न्तगत अनुज्ञाप्तिधारी के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

समाहर्त्ता,
बेगूसराय।

समाहरणालय का नाम :– बेगूसराय।
दिनांक 21.2.15
ज्ञापांक 26 / दिनांक 21.2.15
प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त आयुक्त उत्पाद, बिहार पटना उपायुक्त भागलपुर सह मुंगेर प्रमंडल/पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय/सभी पुलिस उपाधीक्षक जिला/थाना अध्यक्ष नगर थाना/सभी अंचल अधिकारी, बेगूसराय जिला/कल्याण पदाधिकारी, बेगूसराय/जन्सम्पर्क पदाधिकारी, बेगूसराय/मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय/विशेष पदाधिकारी, नगर परिषद, बेगूसराय/अध्यक्ष जिला परिषद एवं नगर परिषद, बेगूसराय/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय/नजारत उपसमाहर्त्ता–सह– प्रभारी गोपनीय शाखा बेगूसराय/सभी उपायुक्त उत्पाद, बिहार राज्य/सहायक आयुक्त उत्पाद एवं अधीक्षक उत्पाद/जिला के सभी के सभी निरीक्षक उत्पाद/सभी अवर निरीक्षक उत्पाद/डिपो बिहार राज्य बैवरेज कारपोरेश्न लिमिटेड देशी एवं विदेशी/महाप्रबंधक बिहार स्टेट बैवरीज कारपोरेश्न लि0 पटना/सभी भंडागार पदाधिकारी एवं अभिकर्त्ता, बेगूसराय जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई एवं विस्तृत प्रसार एवं प्रचारार्थ प्रेषित।

2. सभी इच्छुक उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि बिक्री अधिसूचना में वर्णित सभी आवश्यक कागजातों एवं प्रत्येक देशी/विदेशी एवं कम्पोजिट शराब समूह के दुकानों का निर्धारित आवेदन शुल्क की राशी बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक के माध्यम से भी जमा की जा सकती है किन्तु यह अनिवार्यत भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से निर्गत होनी चाहिए तथा अधीक्षक उत्पाद, बेगूसराय के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा बेगूसराय कोड सं0– 0032 में भुगतेय होनी चाहिए। आवेदन सुविधानुसार प्रत्येक समूह की निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि अधीक्षक उत्पाद बेगूसराय के पदनाम से चालु खाता सं0 31631992532 भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा बेगूसराय मे जमा कर सकते है एवं बैंक की जमा पावती मूल रूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर कार्यालय में जमा कर सकते है। आवेदन शुल्क भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा के अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक के किसी अन्य शाखा में यदि आवेदन शुल्क की राशि (अधीक्षक उत्पाद, बेगूसराय के पदनाम से चालू खाता सं0– 31631992532 भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, बेगूसराय) पे0इन0 स्लिप द्वारा जमा करते हैं तो आवेदन राशि के अतिरिक्त 30/–(तीस रूपये) अंतरण शुल्क के रूप में देय होगा।

आवेदन पत्र, बैंक ड्राफ्ट एवं वर्णित आवश्यक कागजातों (पहचान पत्र एवं शपथ पत्र) के साथ उत्पाद कार्यालय, बेगूसराय में दिनांक 02.03.2015 के अपराहन पाँच बजे तक समर्पित किया जा सकता है।

समाहर्त्ता,
बेगूसराय।

वर्ष 2015–2016 के लिए बेगूसराय जिला अन्तर्गत देशी / मसालेदार / विदेशी शराब / बियर के शराब दुकानों की समूहवार सूची एवं मासिक कोटा / मासिक अनुज्ञाशुल्क की विवरणी।

समूह सं0	दुकान का नाम	स्थल का ब्योरा	मासिक न्यूनतम प्रात्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञा शुल्क (रू0)	कुल मासिक अनुज्ञा शुल्क (रू0)
			दे0शराब (L.P.L)	वि0शराब (L.P.L)	बीयर (B.L)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	नगर निगम, विदेशी शराब दुकान नं0– 1	नगर निगम, बेगूसराय	–	3335.0	7360.0	573850.00	1230700.00
	नगर निगम, देशी शराब दुकान नं0– 1	नगर निगम, बेगूसराय	4180.0	–	–	376200.00	
	कम्पोजिट– बिरनिया बाजार	बिरनिया बाजार	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
2	नगर निगम, विदेशी शराब दुकान नं0– 2	नगर निगम, बेगूसराय	–	3335.0	7360.0	573850.00	1230700.00
	नगर निगम, देशी शराब दुकान नं0– 2	नगर निगम, बेगूसराय	4180.0	–	–	376200.00	
	कम्पोजिट– कारीचक	कारीचक	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
3	नगर निगम, विदेशी शराब दुकान नं0– 3	नगर निगम, बेगूसराय	–	3335.0	7360.0	573850.00	1230700.00
	नगर निगम, देशी शराब दुकान नं0– 3	नगर निगम, बेगूसराय	4180.0	–	–	376200.00	
	कम्पोजिट– मुरलीटोल	मुरली टोल	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
4	नगर निगम, विदेशी शराब दुकान नं0– 4	नगर निगम, बेगूसराय	-	3335.0	7360.0	573850.00	1230700.00
	नगर निगम, देशी शराब दुकान नं0– 4	नगर निगम, बेगूसराय	4180.0	–	–	376200.00	
	कम्पोजिट– रानी	रानी	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
5	नगर निगम, विदेशी शराब दुकान नं0– 5	नगर निगम, बेगूसराय	-	3335.0	7360.0	573850.00	1230700.00
	नगर निगम, देशी शराब दुकान नं0– 5	नगर निगम, बेगूसराय	4180.0	–	–	376200.00	
	कम्पोजिट– पकठौल	पकठौल	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
6	नगर निगम, विदेशी शराब दुकान नं0– 6	नगर निगम, बेगूसराय	-	3335.0	7360.0	573850.00	1230700.00
	नगर निगम, देशी शराब दुकान नं0– 6	नगर निगम, बेगूसराय	4180.0	–	–	376200.00	
	कम्पोजिट– नीमाचांदपुरा	नीमाचांदपुरा	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	

7	नगर निगम, विदेशी शराब दुकान नं0– 7	नगर निगम, बेगूसराय	-	3335.0	7360.0	573850.00	1230700.00
	नगर निगम, देशी शराब दुकान नं0– 7	नगर निगम, बेगूसराय	4180.0	–	–	376200.00	
	कम्पोजिट– गौड़ा	गौड़ा	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
8	नगर निगम, विदेशी शराब दुकान नं0– 8	नगर निगम, बेगूसराय	-	3335.0	7360.0	573850.00	1230700.00
	नगर निगम, देशी शराब दुकान नं0– 8	नगर निगम, बेगूसराय	4180.0	–	–	376200.00	
	कम्पोजिट– बहदरपुर	बहदरपुर	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
9	नगर निगम, विदेशी शराब दुकान नं0– 9	नगर निगम, बेगूसराय	-	3335.0	7360.0	573850.00	1230700.00
	नगर निगम, विदेशी शराब दुकान नं0– 9	नगर निगम, बेगूसराय	4180.0	–	–	376200.00	
	कम्पोजिट– मुजफ्फरा	मुजफ्फरा	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
10	नगर निगम, विदेशी शराब दुकान नं0– 10	नगर निगम, बेगूसराय	-	3335.0	7360.0	573850.00	1230700.00
	नगर निगम, देशी शराब दुकान नं0– 10	नगर निगम, बेगूसराय	4180.0	–	–	376200.00	
	कम्पोजिट– रक्सी चौक	रक्सी चौक	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
11	नगर निगम, विदेशी शराब दुकान नं0– 11	नगर निगम, बेगूसराय	-	3335.0	7360.0	573850.00	1230700.00
	नगर निगम, देशी शराब दुकान नं0– 11	नगर निगम, बेगूसराय	4180.0	–	–	376200.00	
	कम्पोजिट– कोरैय (मालीपुर)	कोरैय (मालीपुर)	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
12	बिदेशी शराब दुकान– लाखो / रमजानपुर (नगर निगम स्तरीय)	लाखो / रमजानपुर	–	2300.0	4600.0	391000.00	925950.00
	देशी शराब दुकान– लाखो / रमजानपुर (नगर निगम स्तरीय)		3850.0	–	–	346500.00	
	कम्पोजिट– रचियाही	रचियाही	1320.0	403.0	920.0	188450.00	
13	बिदेशी शराब दुकान–रिफाइनरी गेट नं0 1 (नगर निगम स्तरीय)	रिफाइनरी गेट नं0– 1	–	2300.0	4600.0	391000.00	707800.00
	देशी शराब दुकान– रिफाइनरी गेट नं01(नगर निगम स्तरीय)		3520.0	–	–	316800.00	

	कम्पोजिट– रजौड़ा (नगर निगम स्तरीय)	रजौड़ा	1870.0	1150.0	2300.0	363800.00	
14	कम्पोजिट– चिलमिल (नगर निगम स्तरीय)	चिलमिल / हरदिया	1870.0	1150.0	2300.0	363800.00	1008250.00
	कम्पोजिट– परना	परना	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
	कम्पोजिट– तुलसीटोल	तुलसीटोल	2200.0	403.0	920.0	267650.00	
15	नगर पंचायत बलिया वि0– 1	नगर पंचायत बलिया	–	2760.0	4945.0	463450.00	1194550.00
	नगर पंचायत बलिया वि0– 2	नगर पंचायत बलिया	–	2760.0	4945.0	463450.00	
	नगर पंचायत बखरी विदेशी शराब दुकान नं0– 1	नगर पंचायत बखरी नदैल सकरपुरा सहित	–	2875.0	4715.0	478400.00	
16	नगर पंचायत बखरी विदेशी शराब दुकान नं0– 2	नगर पंचायत बखरी नदैल सकरपुरा सहित	–	2875.0	4715.0	478400.00	1435200.00
	नगर पंचायत बखरी विदेशी शराब दुकान नं0– 3	नगर पंचायत बखरी नदैल सकरपुरा सहित	–	2875.0	4715.0	478400.00	
	विदेशी श0 दुकान मंझौल– 1 (प्रखंड मुख्यालय स्तरीय)	मंझौल	–	1265.0	3680.0	226550.00	
17	विदेशी श0 दुकान मंझौल– 2 (प्रखंड मुख्यालय स्तरीय)	मंझौल	–	1265.0	3680.0	226550.00	733750.00
	कम्पोजिट– कोरिया / हैबतपुर	कोरिया / हैबतपुर	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
18	नगर निगम देशी शराब दुकान नं0 – 12	नगर निगम, बेगूसराय	4180.0	–	–	376200.00	856250.00
	कम्पोजिट– अम्बे हौल गुमटी (नगर परिषद स्तरीय)	अम्बे हौल गुमटी	2970.0	1265.0	2300.0	480050.00	
	नगर पंचायत बखरी देशी शराब दुकान नं0– 1	नगर पंचायत बखरी नदैल सकरपुरा सहित	4620.0	–	–	415800.00	
19	नगर पंचायत बखरी देशी शराब दुकान नं0– 2	नगर पंचायत बखरी नदैल सकरपुरा सहित	4620.0	–	–	415800.00	1247400.00
	नगर पंचायत बखरी देशी शराब दुकान नं0– 3	नगर पंचायत बखरी नदैल सकरपुरा सहित	4620.0	–	–	415800.00	
	नगर पंचायत तेघड़ा बिदेशी शराब दुकान नं0– 1	तेघड़ा	–	1840.0	4037.0	316370.00	
20	नगर पंचायत तेघड़ा बिदेशी शराब दुकान नं0– 2	तेघड़ा	–	1840.0	4037.0	316370.00	913390.00
	कम्पोजिट– आधारपुर नगर पंचायत स्तरीय	आधारपुर / रातगॉव	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	

21	नगर निगम देशी शराब दुकान नं0– 13	नगर निगम, बेगूसराय	4180.0	–	–	376200.00	1087850.00
	बीहट नगर परिषद देशी शराब दुाकन बीहट	बीहट	4700.0	–	–	423000.00	
	बीहट नगर परिषद बिदेशी शराब दुाकन बीहट	बीहट	–	1725.0	2990.0	288650.00	
22	नगर निगम देशी शराब दुकान नं0– 14	नगर निगम, बेगूसराय	4180.0	–	–	376200.00	1087850.00
	बीहट नगर परिषद देशी	चकिया	4700.0	–	–	423000.00	
	बीहट नगर परिषद बिदेशी	चकिया	–	1725.0	2990.0	288650.00	
23	कम्पोजिट– बारो (नगर परिषद स्तरीय)	बारो	2970.0	1265.0	2300.0	480050.00	1132750.00
	बीहट नगर परिषद देशी	गडहरा	4620.0	–	–	415800.00	
	बीहट नगर परिषद बिदेशी	रजवाड़ा	–	1380.0	2990.0	236900.00	
24	बीहट नगर परिषद देशी	जीरोमाईल	4700.0	–	–	423000.00	940550.00
	बीहट नगर परिषद बिदेशी	जीरोमाईल	–	1380.0	2990.0	236900.00	
	कम्पोजिट– बरौनी ब्लॉक	बरोनी ब्लॉक/ सिमरा चौक	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
25	नगर निगम देशी शराब दुकान नं0– 15	नगर निगम, बेगूसराय	4180.0	–	–	376200.00	905750.00
	कम्पोजिट– सिंघिया चौक (नगर परिषद स्तरीय)	सिंघिया चौक, फुलवरीया	3520.0	1265.0	2300.0	529550.00	
26	कम्पेजिट– पपरौर	पपरौर	2420.0	1150.0	2300.0	413300.00	1043900.00
	कम्पोजिट– देवना	देवना	2200.0	690.0	1380.0	315300.00	
	कम्पोजिट– तिलरथ	तिलरथ	2200.0	690.0	1380.0	315300.00	
27	नगर निगम देशी शराब दुकान नं0– 16	नगर निगम, बेगूसराय	4180.0	–	–	376200.00	863450.00
	कम्पोजिट– मिरचैया चौक (नगर परिषद स्तरीय)	मिरचौया चौक फुलवरिया	3050.0	1265.0	2300.0	487250.00	
28	प्रखंड मुख्यालय विदेशी शराब दुकान नावकोठी	नावकोठी	–	1265.0	3565.0	225400.00	763450.00
	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान नावकोठी	नावकोठी	2860.0	–	–	257400.00	
	कम्पोजिट–गंगराहो	गंगराहो	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	

29	प्रखंड मुख्यालय मंसूरचक विदेशी शराब दुकान नं0– 1	मंसूरचक	–	1265.0	3565.0	225400.00	639250.00
	प्रखंड मुख्यालय मंसूरचक विदेशी शराब दुकान नं0– 2	मंसूरचक	–	1265.0	3565.0	225400.00	
	कम्पोजिट– गोविन्दपुर	गोविन्दपुर	1320.0	403.0	920.0	188450.00	
30	प्रखंड मुख्यालय मंसूरचक देशी शराब दुकान नं0– 1	मंसूरचक	2200.0	–	–	198000.00	676650.00
	प्रखंड मुख्यालय मंसूरचक देशी शराब दुकान नं0– 2	मंसूरचक	2200.0	–	–	198000.00	
	कम्पोजिट– मानोपुर	मानोपुर	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
31	प्रखंड मुख्यालय छौड़ाही देशी शराब दुकान	छौड़ाही	2860.0	–	–	257400.00	818700.00
	कम्पोजिट– भौजा	भौजा	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
	कम्पोजिट– परौरा	परौरा	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
32	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान चेरियावरियारपुर	चेरियावरियारपुर	2860.0	–	–	257400.00	763450.00
	प्रखंड मुख्यालय विदेशी शराब दुकान चेरियावरियारपुर	चेरियावरियारपुर	–	1265.0	3565.0	225400.00	
	कम्पोजिट– खंजहापुर	खंजहापुर	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
33	कम्पोजिट– मटिहानी 01	मटिहानी	1650.0	403.0	920.0	218150.00	436300.00
	कम्पोजिट– मटिहानी 02	मटिहानी	1650.0	403.0	920.0	218150.00	
34	प्रखंडमुख्यालय देशी शराब दुकान साम्हो अकहा कुरहा	साम्हो	2836.00	–	–	255240.00	612810.00
	प्रखंडमुख्यालय वि0 शराब दुकान साम्हो अकहा कुरहा	साम्हो	–	703.0	1725.0	122700.00	
	कमपोजिट– सामहो	साम्हो	1815.0	394.000	1242.0	234870.00	
35	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान बछवाड़ा	बछवाड़ा	3520.0	–	–	316800.00	822771.00
	प्रखंड मुख्यालय बिदेशी शराब दुकान बछवाड़ा	बछवाड़ा	–	1265.0	3565.0	225400.00	
	कम्पोजिट– भीखमचक	भीखमचक	1814.12	690.0	1380.0	280571.00	
36	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान भगवानपुर	भगवानपुर	2860.0	–	–	257400.00	763450.00
	प्रखंड मुख्यालय विदेशी शराब दुकान भगवानपुर	भगवानपुर	–	1265.0	3565.0	225400.00	
	कम्पोजिट– चिल्हाय	चिल्हाय	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	

37	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान बीरपुर	बीरपुर	2640.0	–	–	237600.00	650300.00
	प्रखंड मुख्यालय बिदेशी शराब दुकान बीरपुर	बीरपुर	–	1265.0	3450.0	224250.00	
	कम्पोजिट– जगदर	जगदर	1320.0	403.0	920.0	188450.00	
38	नगर पंचायत देशी शराब दुकान बलिया नं0– 1	बलिया	4180.0	–	–	376200.00	940850.00
	नगर पंचायत देशी शराब दुकान बलिया नं0– 2	बलिया	4180.0	–	–	376200.00	
	कम्पोजिट– मंसेरपुर	मंसेरपुर	1320.0	403.0	920.0	188450.00	
39	नगर पंचायत देशी शराब दुकान तेघड़ा नं0– 1	तेघड़ा	3360.0	–	–	302400.00	604800.00
	नगर पंचायत देशी शराब दुकान तेघड़ा नं0– 2	तेघड़ा	3360.0	–	–	302400.00	
40	प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान गढ़पुरा	गढ़पुरा	4070.0	–	–	366300.00	871200.00
	प्रखंड मुख्यालय बिदेशी शराब दुकान गढ़पुरा	गढ़पुरा	–	1265.0	3450.0	224250.00	
	कम्पोजिट– सोनमा	सोनमा / कुम्हरसों	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
41	कम्पोजिट– 1 खोदावन्दपुर (प्रखंड मुख्यालय स्तरीय)	खोदावन्दपुर	1815.0	640.0	1330.0	272650.00	545300.00
	कम्पोजिट–गोपालपुर / रामपुर	गोपालपुर / रामपुर	1815.0	640.0	1330.0	272650.00	
42	प्रखंड मुख्यालय स्तीय मंझौल देशी शराब दुकान नं0– 01	मंझौल	2860.0	–	–	257400.00	740200.00
	प्रखंड मुख्यालय स्तीय मंझौल देशी शराब दुकान नं0– 02	मंझौल	2860.0	–	–	257400.00	
	प्रखड मुख्यालय विदेशी शराब दुकान छौड़ाही	छौड़ाही	–	1265.0	3565.0	225400.00	
43	कम्पोजिट– 1 कुरहा (प्रखंड मुख्यालय स्तरीय)	कुरहा / रघुनाथपुर	2200.0	690.0	1380.0	315300.00	819050.00
	कम्पोजिट– 2 कुरहा (प्रखंड मुख्यालय स्तरीय)	कुरहा / आहो	2200.0	690.0	1380.0	315300.00	
	कम्पोजिट– 2 चौकी	चौकी / डीहा	1320.0	403.0	920.0	188450.00	
44	कम्पोजिट– चमथा	चमथा	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	561300.00
	कम्पोजिट– रसीदपुर	रसीदपुर / फतेया	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
45	कम्पोजिट– पंचवीर	पंचवीर / समस्तीपुर	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	469100.00
	कम्पोजिट– सनहा	सनहा / बखड्डा	1320.0	403.0	920.0	188450.00	

46	कम्पोजिट– सिहमा	सिहमा	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	561300.00
	कम्पोजिट– सकरबासा/कुम्भी	सकरबासा/कुम्भी	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
47	कम्पोजिट– बनवारीपुर	बनवारीपुर	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	841950.00
	कम्पोजिट– चन्दौर	चन्दौर	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
	कम्पोजिट– लखनपुर	लखनपुर	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
48	कम्पोजिट– हारीचक	हारीचक	1320.0	403.0	920.0	188450.00	657550.00
	कम्पोजिट– सुर्यपुरा	सुर्यपुरा	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
	कम्पोजिट– नौला	नौला	1320.0	403.0	920.0	188450.00	
49	कम्पोजिट– समसा/विशनपुर	समसा/विशनपुर	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	280650.00
50	कम्पोजिट– बाड़ा	बाड़ा	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	749750.00
	कम्पोजिट– तारा	तारा	1320.0	403.0	920.0	188450.00	
	कम्पोजिट– सानी	सानी	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
51	कम्पोजिट– बड़ी बलिया	बड़ी बलिया/इनियार	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	561300.00
	कम्पोजिट– बरियारपुर/ सदानंदपुर	बरियारपुर/ सदानंदपुर/सालेयचक	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	
52	कम्पोजिट–मल्हीपुर/छर्रापट्टी (साहपुरकमाल, प्रखंड)	मल्हीपुर/छर्रापट्टी	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	280650.00
53	कम्पोजिट– हीराटोल	हीराटोल	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	280650.00
54	कम्पोजिट– पहसारा	पहसारा	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	280650.00
55	कम्पोजिट– बांक	बांक	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	280650.00
56	कम्पोजिट– डंडारी	डंडारी	1870.0	690.0	1380.0	285600.00	285600.00
57	कम्पोजिट– फुलकारी/पर्रा	फुलकारी/पर्रा	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	280650.00
58	कम्पोजिट– दरियापुर	दरियापुर	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	280650.00
59	कम्पोजिट– बागडोब	बागडोब	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	280650.00

60	कम्पोजिट– खरहट	खरहट	1320.0	403.0	920.0	188450.00	188450.00
61	कम्पोजिट– परिहारा	परिहारा	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	280650.00
62	कम्पोजिट– फफौत	फफौत	1485.0	494.23	1019.0	217974.50	217974.50
63	कम्पोजिट– बगरस	बगरस	1815.0	690.0	1380.0	280650.00	280650.00
64	कम्पोजिट– कटरमाला	कटरमाला	1320.0	403.0	920.0	188450.00	188450.00
		कुलयोग :–	296315.12	131448.23	279450.0	49180095.50	49180095.50

समाहर्त्ता,
बेगूसराय।